(216)

RN-11-4/R/75/93 (सागर)

<u>समक्ष बोर्ड आफ रेवेन्यू, म० प्र० ग्वालियर</u>

श्रीमती रुक्मणी देवी, विधवा श्री रामकृष्ण दुबे
निवासी कुम्हारी टौरी सागर, तहसील व
जिला सागर ---------------------------------आवेदिका

बनाम

१- नानजी भाई तनय पं० गोवर्धन भाई
२- राजेन्द्रसिंह तनय दुर्गासिंह
३- बृजलाल तनय चतुर्प्रसाद
४- दुलीचंद तनय भगवानदास
५- ओमप्रकाश तनय दीनदयाल गुप्ता
सभी साकिन सागर तह० व जिला सागर (म०प्र०)---------अनावेदकगण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा ५० म० प्र० भूराजस्व संहिता</u>

आवेदिका निम्नलिखित प्रार्थना करती है :-

१- आवेदिका उक्त निगरानी आदेश श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 825 अ/6/90, आदेश दिनांक ७-१२-९२ से पीड़ित होकर कर रही है ।

२- प्रकरण में आवेदिका द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ११५।११६ के अंतर्गत प्रस्तुत किया था कि मौजा सागर की खसरा नंबर २१० में उसका नाम अंकित चला आ रहा है तथा कुछ राजस्वकर्मचारियों द्वारा भूमि विक्रय के पश्चात् उसके नाम का विलोप कर दिया गया इससे उसका नाम उक्त खसरे में सम्मिलित रूप से अंकित कर दिया जाय तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक १४-१०-८७ को आवेदिका का आवेदन खारिज किया गया इस आदेश के विरुद्ध अपील पेश की गई तथा जो अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक २६-३-९० को स्वीकृत की गई तथा उसके नाम को अंकित करने का आदेश दिया गया उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदकों द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त महोदय सागर के यहां की गई जो स्वीकार हुई उसी आदेश के वि

RM/11-4/R-75/93 (भाग)

20.1.17.

C.P. 20-01-2017

[illegible]

[कृ. प. उ.